राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–3 त0ना0त0,
संख्या: 1513 /3– त0ना0त0–35 एन0टी0/2016
लखनऊ। दिनांक : मार्च 27 ,2017

आदेश/ नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा– 2013, 2014 एवं 2015 के आधार पर नायब तहसीलदारों के पद हेतु चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 यथासंशोधित के नियम–20(1) के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के पद पर वेतनमान रूपया 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपया 4200/– में नियुक्ति प्रदान करते हुए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 (यथासंशोधित) के नियम–18 में विहित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह के प्रशिक्षण हेतु राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ,उत्तर प्रदेश, हरदोई में तैनात करने के आदेश प्रदान करते हैं:–'

कमांक	नाम / चयन वर्ष	रोल नम्बर	गृह जनपद
1	2	3	4
1	सर्वश्री विशाल सिंह यादव –2015	344310	फिरोजाबाद
2	शिव कुमार शर्मा –2015	375292	हरदोई
3	आलोक रंजन –2014	350071	देवरिया
4	श्रीमती सुप्रिया चतुर्वेदी–2013	361182	सिद्धार्थनगर
5	सुश्री नीकी नैनसी – 2015	174327	लखनऊ
6	सुश्री आकांक्षा मिश्रा–2015	051681	फतेहपुर

2– **प्रशिक्षण सत्र दिनांक 01–5–2017 से 15–09–2017 तक निर्धारित किया गया है।**

3– उक्त नायब तहसीलदार अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन होगी ।

क– उक्त नियुक्त अभ्यर्थी नायब तहसीलदार सेवा नियमावली–2003 के नियम –21 के अधीन संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगें।

ख– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को साढ़े चार माह का विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

ग– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियॉं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–14299 – 14301/2007 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रति पारस नाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है।

घ– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

च– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की अन्य स्रोतों से नियुक्त किये गये / नियुक्त किये जाने वाले नायब तहसीलदारों के साथ नियमानुसार पारस्परिक ज्येष्ठता , उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

छः– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद हेतु विहित विभागीय परीक्षा उनके परिवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

राजस्व परिषद के आदेश से,

ह0/-

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री ....

....

..........को इस आशय से प्रेषित कि इस नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के पश्चात् निदेशक राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, हरदोई के समक्ष नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार / प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0/-
(महेन्द्र सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक , राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, हरदोई।
2– जिलाधिकारी, हरदोई।
3– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ।
4– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–4 , लखनऊ।
5– सचिव, लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6– अपर आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश, अनुभाग–14 बजट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त नायब तहसीलदार प्रशिक्षणार्थियों को वेतन भत्तों का भुगतान सुनिश्चित किये

क्रमशः

जाने हेतु निदेशक राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई को आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– निजी सचिव , मा० अध्यक्ष एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8– प्रमुख प्रणाली विशेषज्ञ, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखननऊ को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की एक प्रति परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

9– चरित्र पंजी सहायक / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।